फ

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0–155/2022–23

–:आदेशः–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक–407, दिनांक– 11.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. मुकुल चन्द्र रवानी, 2. फूलचंद रवानी, दोने के पिता– स्व0 धनेश्वर रवानी, साकिम– करमाटाँड़, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– करमाटाँड़, मौजा नं0– 15, पुराना खाता नं0– 47, पुराना प्लॉट नं0– 2118, 1847,1779, नया खाता नं0– 113, नया प्लॉट सं0– 2765, रकवा– 08 डिसमील, नया प्लॉट सं0– 2950, रकवा– 08 डिसमील, नया प्लॉट सं0– 2889, रकवा– 05 डिसमील भूमि क्रेता अजय कुमार रवानी, पिता– पंचानंद रवानी, साकिम– करमाटाँड़, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 04 एकड़ 22.50 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:41:04 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner